[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

Notification

New Delhi, dated the 8th June, 2017

INCOME-TAX

G.S.R. ------(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 194-IB of the Income-tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes, hereby, makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (13 th Amendment) Rules, 2017.

   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the principal rules), in rule 30, -

   (a) after sub-rule (2A), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

   " (2B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2), any sum deducted under section 194-IB shall be paid to the credit of the Central Government within a period of thirty days from the end of the month in which the deduction is made and shall be accompanied by a challan-cum-statement in Form No. 26QC.";

   (b) after sub-rule (6A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

   "(6B) Where tax deducted is to be deposited accompanied by a challan-cum-statement in Form No.26QC, the amount of tax so deducted shall be deposited to the credit of the Central Government by remitting it electronically within the time specified in sub-rule (2B) into the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any authorized bank.".

3. In the principal rules, in rule 31, after sub-rule (3A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2) or sub-rule (3), every person responsible for deduction of tax under section 194-IB shall furnish the certificate of deduction of tax at source in Form No.16C to the payee within fifteen days from the due date for furnishing the challan-cum-statement in Form No.26QC under rule 31A after generating and downloading the same from the web portal specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems)or the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him."

4. In the principal rules, in rule 31A, after sub-rule (4A), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2) or sub-rule (3) or subrule (4), every person responsible for deduction of tax under section 194-IB shall furnish to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (System) or the person authorised by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) a challan-cum-statement in Form No.26QC electronically in accordance with the procedures, formats and standards specified under sub-rule (5) within thirty days from the end of the month in which the deduction is made."

5. In the principal rules,—

(a) after Form No.16B, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM NO.16C		
[See rule 31(3B)]		
Certificate under section 203 of the Income-tax Act, 1961 for tax deducted at source		
Certificate No.	Last updated on	
Name and address of the Deductor (Tenant/lesse/Payer)	Name and address of the Deductee (Landlord/lessor/Payee)	
PAN of the Deductor	PAN of the Deductee	Financial Year of deduction
Summary of Transaction (s)		

S. No.	Unique Acknowledgement Number	Amount Paid/Credited	Date of payment/credit (dd/mm/yyyy)	Amount of tax deducted and deposited in respect of the deductee
Total (Rs.)				

DETAILS OF TAX DEPOSITED TO THE CREDIT OF THE CENTRAL GOVERNMENT FOR WHICH CREDIT IS TO BE GIVEN TO THE DEDUCTEE

S. No.	Amount of tax deposited in respect of deductee (Rs.)	Challan Identification number		
		BSR Code of the Bank Branch	Date on which tax deposited (dd/mm/yyyy)	Challan Serial Number
1.				
2.				
Total (Rs.)				

Verification

I,................., son/daughter of .... in the capacity of .... (designation) do hereby certify that a sum of (Rs.) .... [Rs. ....(in words)] has been deducted and deposited to the credit of the Central Government. I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, challan-cum-statement of deduction of tax, TDS deposited and other available records.

Place		(Signature of person responsible for deduction of tax)
Date		Full Name:";

(b) after Form No.26QB, the following Form shall be inserted, namely:—

" Form No.26QC
[*See* section 194-IB, rule 30(2B and 6B) and rule 31A(4B)]

Challan –cum – statement of deduction of tax under section 194-IB

Financial Year		Major Head Code*	2	0	Minor Head Code*	8	0	0
Permanent Account Number (PAN) of Tenant/ lesse/ Payer								
Full Name of Tenant/ lesse/ Payer*								
Complete Address of Tenant/ lesse/ Payer								

Mobile No.		Email ID		PIN

Whether more than one Tenant/ lessee/ Payer (Yes/No)

Permanent Account Number (PAN) of Landlord / Lessor/ Payee

Category of PAN*		Status of PAN*	

Full Name of Landlord / Lessor/ Payee

Complete Address of Landlord / Lessor/ Payee

Mobile No.		Email ID		PIN

Whether more than one Landlord / Lessor/ Payee (Yes/No)

Complete Address of Property Rented

PIN

Period of Tenancy***		Total Value of Rent Paid (Amount in Rs.)		Value of Rent Paid in Last Month (Amount in Rs.)	

Amount Paid/Credited (in Rs.)	Date of payment/credit**	Rate at which deducted	Amount of tax deducted at source	Date of Deduction**

Date of Deposit**		Mode of payment	Simultaneous e-tax payment e-tax payment on subsequent date

Details of Payment of Tax Deducted at Source (Amount in Rs.)

TDS (Income Tax)(Credit of tax to the deductee shall be given for this amount)	
Interest	
Fee	
Total payment	

Total Payment in Words (in Rs.)

Crores	Lakhs	Thousands	Hundreds	Tens	Units

* To be updated automatically

** In dd/mm/yyyy format.".

*** Against Period of tenancy, the number of months the property is rented for the financial year may be mentioned".

[Notification No. 48/2017, F.No.370 142/16/2017-TPL]

(LAKSHMI NARAYANAN)

UNDER SECRETRAY (TAX POLICY AND LEGISLATION)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. *969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification number* G.S.R 557(E), *dated 07/06/2017.*

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 8 जून, 2017

आय-कर

सा.का.नि. ……… (अ)-- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194झख के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 30 में,--

(क) उप-नियम (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2ख) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 194झख के अधीन कटौती की गई किसी राशि को केन्द्रीय सरकार के खाते में उस मास, जिसमें कटौती की गई थी, के अन्त से तीस दिन की अवधि के भीतर संदाय किया जाएगा और उसके साथ प्ररूप संख्या 26थग में एक चालान-सह-विवरण संलग्न होगा ।";

(ख) उप-नियम (6क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(6ख) जहां कटौती किए गए कर को प्ररूप संख्या 26थग में चालान-सह-विवरण के साथ जमा किया जाना है वहां इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम को उसे उप-नियम (2ख) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इलैक्ट्रॉनिकी रूप में भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक में विप्रेषित करके केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किया जाएगा ।";

3. मूल नियमों के नियम 31 के उप-नियम (3क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3ख) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) या उप-नियम (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 194झख के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र पाने वाले को प्ररूप संख्या 16ग में नियम 31क के अधीन प्ररूप संख्या 26थग में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल में सृजित और डाउनलोड करके प्रस्तुत कर सकेगा ।"।

4. मूल नियमों के नियम 31क के उप-नियम (4क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4ख) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) या उप-नियम (3) या उप-नियम (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 194झख के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उप-नियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, प्ररूप और मानकों के अनुसार उस मास के अन्त से, जिसमें कटौती की गई है, से तीस दिन के भीतर इलैक्ट्रॉनिकी रूप में प्ररूप संख्या 26थग में एक चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करेगा ।"

5. मूल नियमों में, --

(क) प्ररूप संख्या 16ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप संख्या 16ग	
[देखें नियम 31(3ख)]	
आय-कर नियम, 1961 की धारा 203 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए प्रमाणपत्र	
प्रमाणपत्र संख्या	को अन्तिम बार अद्यतन किया गया

कटौती करने वाले का पैन	जिसकी कटौती की गई है उसका पैन	कटौती करने का वित्त वर्ष
संव्यवहार का सारांश		

क्र. सं.	विशिष्ट अभिस्वीकृति संख्या	संदत्त/जमा की गई रकम	संदाय/जमा किए जाने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	जिससे कटौती की गई है, के सम्बन्ध में कटौती किए गए और जमा किए गए कर की रकम
योग (रुपये)				

केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए जाने वाले कर के ब्यौरे, जिसके लिए जिससे कटौती की गई है, को प्रत्यय दिया जाना है				
क्र. सं	जिससे कटौती की गई है, के सम्बन्ध में जमा की गई कर की रकम (रुपये)	चालान पहचान संख्या		
		बैंक शाखा का बी.एस.आर. कोड	तारीख, जिसको कर जमा किया गया है (दिन/मास/वर्ष)	चालान क्रम संख्या
1.				
2.				
योग (रुपये)				

सत्यापन

मैं..............पुत्र/पुत्री........................की क्षमता (पदनाम में) प्रमाणित करता हूं कि.......................(रुपये)...................(रुपये शब्दों में) की कटौती की गई है और केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए हैं। मैं यह और प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा यह लेखाबहियों, दस्तावेजों, कर कटौती के चालान-सह-विवरण, जमा किए गए स्रोत पर कटौती किए गए कर और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आधारित है।

स्थान		(कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)
तारीख		पूरा नाम :

(ख) प्ररूप संख्या 26थख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप संख्या 26थग

[देखें धारा 194झख, नियम 30 (2ख और 6ख) तथा नियम 31क (4ख)]

धारा 194झख के अधीन कर की कटौती का चालान-सह-विवरण

वित्त वर्ष		मुख्य शीर्ष कूट*	2	0	गौण शीर्ष कूट*	8	0	0

किरायेदार/पट्टेदार/संदाता का स्थायी खाता संख्या (पैन)

किरायेदार/पट्टेदार/संदाता का पूरा नाम*

किरायेदार/पट्टेदार/संदाता का पूरा पता

पिन

मोबाइल नं.

ई-मेल

क्या एक से अधिक किरायेदार/पट्टेदार/संदाता हैं (हां/नहीं)

मकानमालिक/पट्टेदार/पाने वाले का स्थायी लेखासंख्यांक (पैन)

पैन का प्रवर्ग*		पैन की प्रास्थिति*	

मकानमालिक/पट्टेदार/पाने वाले का पूरा नाम

मकानमालिक/पट्टेदार/पाने वाले का पूरा पता

पिन

मोबाइल नं.

ई-मेल

क्या एक से अधिक मकानमालिक/पट्टाकर्ता/पाने वाले हैं (हां/नहीं)

किराये पर दी गई सम्पत्ति का पूरा पता

पिन

किरायेदारी की अवधि***	संदत्त किराये का कुल मूल्य (रकम रुपये में)		पिछले मास संदत्त किराये का मूल्य (रकम रुपये में)

संदत्त/जमा की गई रकम (रुपये में)	संदाय/जमा करने की तारीख**	वह दर, जिस पर कटौती की गई है	स्रोत पर कटौती किए गए कर की रकम	कटौती करने की तारीख**

जमा करने की तारीख**		संदाय की ढंग	साथ-साथ ई-कर का संदाय
			पश्चात्वर्ती तारीख को ई-कर का संदाय

स्रोत पर कटौती किए गए कर के संदाय के ब्यौरे (रकम रुपये में)

स्रोत पर कर कटौती (आय-कर) (कटौती किए जाने वाले को इस रकम के कर का प्रत्यय दिया जाएगा

ब्याज												
फीस												
कुल संदाय												

ाब्दों में कुल संदाय (रुपये में)

करोड़	लाख	हजार	सैंकड़ा	दहाई	ईकाई

* स्वतः अद्यतन किया जाना है

** दिन/मास/वर्ष प्रारुप में।"।

*** किरायेदारी की अवधि के सामने उन मासों की संख्या, जिनके लिए वित्त वर्ष में सम्पत्ति किराये पर दी गई है, का वर्णन किया जाएगा ।

[अधिसूचना सं0. 48/2017 फा0 सं0 370142/16/2017-टीपीएल)]

(लक्ष्मी नारायणन)

अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं0 का0 आ0 तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से अधिसूचना सं0. **सा.का.नि.** 557 (अ) तारीख 07/06/2017 द्वारा संशोधित किए गए ।